संख्या-1142/2026/662/22-2-2026-17(325)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 25 अगस्त, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हरकरन पुत्र श्री नारायन, निवासी जनपद-कन्नौज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-23.02.2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हरकरन पुत्र श्री नारायन (दिनांक 06.09.2025 तक 73 वर्ष 10 माह 19 दिन), नाईकापुर, थाना-इन्दरगढ़, जनपद-फर्रूखाबाद वर्तमान जनपद-कन्नौज का निवासी है। बन्दी द्वारा मुकदमे की रंजिश को लेकर दिनांक 19/20.06.1983 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर हंसिया से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-14/1984 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद के आदेश दिनांक 24.04.1986 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 26.04.2019 एवं मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 30.09.2019 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज ने बन्दी द्वारा कारित अपराध आपसी प्रतिद्वंदिता होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पीडिता एवं उसके परिवारीजन तथा विपक्षी एक ही गांव के है, बन्दी को मुक्त किये जाने पर किसी घटना के घटित होने इन्कार नहीं किये जाने, हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किये जाने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। बन्दी द्वारा दिनांक 06.09.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष, 02 माह, तथा सपरिहार 04 वर्ष 08 माह 01 दिन की सजा भोगी गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 06.09.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष, 02 माह तथा सपरिहार 04 वर्ष, 08 माह 01 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी के स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हरकरन (बन्दी संख्या-28103) पुत्र श्री नारायन, निवासी जनपद-कन्नौज की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1142/2026/662(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।

2- पुलिस अधीक्षक, कन्नौज।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।